

अनविवर्य परविवरतनीय डबिंचर

सुरत: पी.आई.बी.

भरतीय परतसिपरदधा आयोग (Competition Commission of India- CCI) ने अंतरराषुटरीय वतित नगिम (Internationa Finance Corporation- IFC) द्वारा नेपनि ओटो ँड इलेकुरॉनकिस् लमिटेड के अनविवर्य परविवरतनीय डबिंचर (Compulsory Convertible Debentures-CCD) को खरीदने की मंजुरी दे दी है ।

- एक बॉण्ड जसि परपिक्वता पर अथवा वशिषुट शरुतों के तहत इकवटि में परविवरतति कथिा जाना है, एक अनविवर्य परविवरतनीय डबिंचर (Compulsory Convertible Debenture- CCS) के रूप में जाना जाता है । यह ःण और इकवटि वाली सुवधिओं से लैस होता है ।
 - वैकल्पकि परविवरतनीय डबिंचरों के मामले में जहाँ नविशक के पास परविवरतति करने का विकल्प होता है, उसके वपिरीत यहाँ रूपांतरण अनविवर्य है ।
- सुटारुटअप और वकिस-चरण (जब व्यवसाय लाभ कमाना शुरु कर दे) वाले व्यवसाय, जनिहें वसुतार के लयि पूँजी की आवशुयकता होती है, लेकनि ये इकवटि छोड़ने के लयि तैयार नहीं होते हैं, वे अकुरसर CCD का उपयोग करते हैं ।
- IFC एक अंतरराषुटरीय संगठन है, जसिकी सुथापना वर्ष 1956 में नजी कषुेत्र के वकिस को बढ़ावा देकर अपने वकिसशील सदसुय देशों में आरुथकि वकिस को आगे बढ़ाने के लयि की गई थी ।
 - यह वशि्व बैंक समुह का सदसुय है ।
- भरतीय परतसिपरदधा आयोग (Competition Commission of India- CCI) भरत सरकर का एक वैधानकि नकिय है जो परतसिपरदधाअधनियम, 2002 को लागू करने के लयि जमिमेदार है, जसिका वधिवित गठन मरुच 2009 में कथिा गया था ।

और पढ़े: भरतीय परतसिपरदधा आयोग (CCI)